TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

Due to Covid-19 outbreak our staff is not available to collect the details & prepare the certificates and due to lockdown in the Major areas of Kanpur, our professionals are not available for signing the certificates as they are working with 50% capacity only. Hence, we are unable to upload the CA, engineer and architect certificates in this quarter.

Regards

Diviniti Homes Pvt. Ltd.

Attachment : Lockdown notice by DM dated 20.07.2020

संशोधित आदेश

कार्यालय जिलाधिकारी, कानपुर नगर

पत्रांक 3932/ओएसडी/डीएम कानपुर नगर/2020–कोविड–19 दिनांक : 20–07–2020

आदेश

विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोरोना वायरस (कोविड–19) संक्रमण की Pandemic घोषित करने तथा इस सन्दर्भ में उत्पन्न स्थिति के दृष्टिगत कोविड–19 (कोरोना वायरस) संक्रमण को फैलने से रोकने हेतु समय–समय पर भारत सरकार एवं उ0प्र0 सरकार द्वारा विभिन्न निर्देश निर्गत किये गये है, जिनका अनुपालन जनपद स्तर पर सुनिश्चित किया जा रहा है। विशेष रूप से गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत निर्देश दिनांक 29.06.2020, तत्पश्चात मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत शासनादेश स0 1730/2020/ सी0एक्स–3 दिनांक 09.07.2020 एवं शासनादेश संख्या 1755/2020 सीएक्स–3 दिनांक 14.07.2020 तत्क्रम में इस कार्यालय द्वारा निर्गत आदेश संख्या–3911/ओएसडी/2020 दिनांक 14–07–2020 द्वारा जनपद कानपुर नगर मे कोरोना वायरस (कोविड–19) संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किये जाने हेतु विभिन्न उपाय किये जा रहे हैं।

इस सम्बन्ध में मुख्य चिकित्साधिकारी एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम, पुलिस विभाग एवं प्रशासन की समिति की संयुक्त आख्या द्वारा संज्ञानित किया गया है कि कानपुर महानगर के थाना क्षेत्र **कल्यानपुर, स्वरूपनगर, नवाबगंज, काकादेव, चकेरी, कोतवाली, गोविन्दनगर, किदवईनगर, नौबस्ता एवं बर्रा** में कोराना वायरस (कोविड–19) का संक्रमण तेजी से प्रसारित होने के कारण अत्यधिक संख्या में कन्टेनमेण्ट जोन बने हैं और यहां संकमण का तेज प्रसार भी देखा जा रहा है जिससे प्रशासनिक व्यवस्थाओं में समस्या भी उत्पन्न हो रही है। कोरोना वायरस के तीव्र संकमण एवं प्रसार को रोकने एवं प्रभावी नियंत्रण हेतु उक्त थाना क्षेत्रों को **''बृहद कन्टेनमेण्ट जोन''** बनाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरिनिर्दिष्ट भारत सरकार एवं उ0प्र0 सरकार के निर्देशों के क्रम में तथा महामारी अधिनियम 1897 में दी गयी शक्तियों का प्रयोग करते हुये एवं दायित्व के अनुपालन में मैं **डा0 ब्रह्मदेव राम तिवारी जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर** उक्त थाना क्षेत्रों में को दिनांक 20.07.2020 की रात्रि 12 बजे से दिनांक 24.07.2020 की रात्रि 10:00 बजे तक की अवधि हेतु **''बृहद कन्टेनमेण्ट जोन''** के रूप में प्रख्यापित करता हूँ। वृहद कन्टेनमेण्ट जोन में निम्नानुसार गतिविधियां अनुमन्य एवं निषिद्ध रहेंगी :–

1. **''बृहद कन्टेनमेण्ट जोन''** में स्थित हाट, बाजार, गल्ला मण्डी, व्यावसायिक प्रतिष्ठान एवं समस्त धार्मिक स्थल इत्यादि बंद रहेंगे।
2. **''बृहद कन्टेनमेण्ट जोन''** में स्थित समस्त औद्योगिक कारखाने, जिनमें आई0टी0 तथा आई0टी0 से सम्बन्धित सर्विसेज से जुड़े उद्योग भी सम्मिलित हैं, चलते रहेंगे। इनमें सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए सभी औद्योगिक इकाइयों में कोविड–19 हेल्प–डेस्क भी अनिवार्यतः स्थापित की जाएगी।
3. इस अवधि मे समस्त आवश्यक सेवाएं यथा–स्वास्थ्य एंव चिकित्सीय सेवाएं, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पूर्व की भांति खुले रहेगें और इन सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों, कोरोना वॉरियर, स्वच्छता कर्मी व डोर स्टेप डिलीवरी से जुड़े व्यक्तियों के आने–जाने पर कोई प्रतिबन्ध नही होगा।
4. रेलवे तथा राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों का आवागमन पूर्व की भांति जारी रहेगा। रेलों से आने वाले यात्रियों के आवागमन हेतु यथावश्यक बसों की व्यवस्था उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा की जाएगी।
5. अन्तर्राष्ट्रीय (International) एंव घरेलू (Domestic) हवाई सेवाएँ यथावत जारी रहेगी। हवाई अड्डों को तथा वहां से अपने गंतव्य स्थल तक जाने वाले व्यक्तियों/यात्रियों के आवागमन पर कोई प्रतिबन्ध नही होगा।

Scanned by TapScanner

6. माल वाहन वाहनों से आवागमन पर कोई प्रतिबन्ध नही रहेगा। राष्ट्रीय एंव राज्यमार्गो पर परिवहन जारी रहेगा एंव इनके किनारें स्थित पेट्रोल पम्प पर एंव हाई–वे पर स्थित ढाबे पूर्ववत खुले रहेगें।

7. इस अवधि में स्थानीय प्रशासन एंव नगर निगम, कानपुर द्वारा सफाई एंव स्वच्छता (Sanitization) स्वच्छ पेयजल आपूर्ति हेतु बृहद अभियान चलाया जायेगा। इसमें शामिल सभी अधिकारी/कर्मचारी इन प्रतिबन्धों से मुक्त रहेंगे और इनसे सम्बन्धित कार्यालय भी खुले रहेंगे।

8. स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड–19 तथा संचारी रोग सर्विलांस टीम के माध्यम से प्रत्येक घर में रहने वाले सभी सदस्यों की व्यापक मेडिकल स्क्रीनिंग व सर्विलांस का अभियान चलाया जा रहा है जो यथावत चलता रहेगा एंव इनसे सम्बन्धित कार्यालय भी खुले रहेगें। इन कार्यो में लगे हुये समस्त कोरोना वॉरियर, अधिकारी/कर्मचारियों को उनके पहचान–पत्र के आधार पर आने जाने पर कोई प्रतिबन्ध नही होगा।

9. **बृहद कन्टेनमेन्ट जोन क्षेत्र** में स्थित आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं से संबंधित शासकीय कार्यालयों को छोड़कर शेष सभी कार्यालय बन्द रहेगें परन्तु राष्ट्रीय राज्य मार्ग अथवा राज्य मार्ग की तरफ खुलने वाले ऐसे बड़े प्रतिष्ठान एंव कार्यालय जिनका आवासीय क्षेत्र से किसी प्रकार का सम्पर्क न हो, खुल सकेंगे। आवश्यक सेवाओं से सम्बन्धित कार्यालय एंव इन प्रतिबन्धों से मुक्त सेवाओं से सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारियों का पहचान–पत्र ही ड्यूटी पास माना जायेगा और उनकी आवाजाही को रोका नहीं जाएगा।

10. इस अवधि में सभी वृहद निर्माण कार्य यथा एक्सप्रेस–वे, बड़े पुल एंव सड़के, लोक निर्माण विभाग के बड़े निर्माण, सरकारी भवन तथा निजी प्रोजेक्ट जारी रहेंगे।

11. प्रत्येक सार्वजनिक स्थल यथा–अस्पताल, मेडिकल कालेज, औद्योगिक प्रतिष्ठान, चौराहों आदि पर स्थानीय प्रशासन एंव पुलिस व नगर निकायों द्वारा पब्लिक एड्रेस सिस्टम (PA System) द्वारा कोविड–19 व संचारी रोगो से बचाव के सम्बन्ध में जागरूकता कार्यक्रम व्यापक रूप से चलाया जाएगा।

12. **बृहद कन्टेनमेन्ट जोन** में मजिस्ट्रेट व पुलिस अधिकारियों द्वारा संयुक्त भ्रमण किया जायेगा। पुलिस टीमों/यू0पी0–112 द्वारा पेट्रोलिंग द्वारा उपरोक्त व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा। इन क्षेत्रों में जोनल सेक्टर स्कीम लागू रहेगी।

13. **बृहद कन्टेनमेन्ट जोन** में सब्जी एंव फलों की समस्त मण्डियॉ व दुकानें सोशल डिस्टेन्सिंग के नियमों एवं मास्क लगाने व सेनेटाइजेशन की कड़ी शर्तो के साथ खुलेंगी।

14. मुख्य राष्ट्रीय राज्य मार्ग, राज्य मार्ग एंव अन्तर्जनपदीय मार्ग चलते रहेगें। इसके अतिरिक्त अन्य सभी मार्गो पर यातायात अत्यावश्यक अपरिहार्य स्थितियों के अतिरिक्त सामान्तयः विनियमित किया जायेगा।

15. **बृहद कन्टेनमेन्ट जोन** में आवश्यक वस्तु यथा–राशन की दुकानें, फल, सब्जी, दूध, अण्डा, मछली, मीट, ब्रेड की दुकाने, किराना, रसोई गैस, पेट्रोल पम्प, सी0एन0जी0 पम्प आदि खुले रहेंगे परन्तु इसके अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार की व्यवसायिक गतिविधियॉ पूर्णतः बन्द रहेंगी। फल सब्जी के सचल ठेलों से डोर–टू–डोर डिलीवरी अनुमन्य होगी। परन्तु एक स्थान पर एक समय में एकाधिक ठेले खड़े नहीं होगें। इनके खुलने का समय प्रातः 6.00 बजे से सायं 8.00 बजे के मध्य रहेगा।

16. फल सब्जी को छोड़कर सड़क किनारे लगने वाले अन्य सभी प्रकार की दुकानें/ठेले/वेण्डर/फास्ट–फूड आदि पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेंगें।

17. हास्पिटल, पैथोलॉजी, क्लीनिक एंव अन्य मेडिकल/पैरामेडिकल और मेडिकल स्टोर अनवरत चलते रहेंगें और 24 घण्टे खुले रहेगें।

18. चिकित्सकीय उपकरणों एंव अनाज, राशन इत्यादि कय करने के लिये अथवा अनुमन्य सेवाओं तथा साफ–सफाई एंव सेनेटाइजेशन के कार्य, म्यूनिस्पिल सर्विसेज, विद्युत सेवाएं, इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजक्ट्स, सरकारी निर्माण कार्य, उद्योग एंव कारखाने, बैक, आई0टी0, सेवा के प्रदाता एंव उनके कार्मिक आवागमन विशिष्ट उद्‌देश्य हेतु कर सकेंगे। बैंकों के ए0टी0एम0 की सेवाएं यथावत संचालित रहेंगी।

19. **बृहद कन्टेनमेन्ट जोन** क्षेत्र में आवासित व्यक्तियों मे **बृहद कन्टेनमेन्ट जोन** से बाहर स्थित कार्य स्थलों तक आवागमन हेतु केवल चिकित्सा सेवा, पैरा मेडिक्स, अन्य आवश्यक सेवाओं के कर्मिकों प्रेस

Scanned by TapScanner

मीडिया, समाचार पत्र हाकर्स को कार्य हेतु आवागमन की अनुमति होगी। सामान्य कार्यालय आवागमन विशिष्ट आवश्यकता पर ही किया जाए एण्व यथासंभव वर्क–फाम–होम द्वारा कार्य किया जायेगा।

20. वर्तमान में उक्त क्षेत्र में संचालित कन्टेमेन्ट जोन अथवा कोविड–19 पॉजिटिव पाये गये व्यक्तियों के निवास/कार्य स्थल के आस–पास लगाये गये प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे तथा वहाँ किसी भी प्रकार की गतिविधियाँ अनुमन्य नही होगी।

21. इन क्षेत्रों में घर–घर गहन सर्विलांस की गतिविधियां, सेनीटाइजेशन एवं साफ–सफाई के कार्यो के अभियान सघन रूप से संचालित किये जायेंगें।

उपरोक्त निर्देशों का स्थानीय स्तर पर अनुपालन न किया जाना महामारी अधिनियम–1897 का उल्लंघन माना जायेगा तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 की धारा 51 तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा–188 के अधीन दण्डनीय अपराध की श्रेणी मे सम्बन्धित के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।

संलग्नकः यथोपरि।

(डा0 ब्रह्म देव राम तिवारी)
जिला मजिस्ट्रेट,
कानपुर नगर।

पृष्ठांकन संख्या : /तदद्दिनांकित

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. आयुक्त, कानपुर मण्डल, कानपुर को सादर सूचनार्थ।
2. सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन, उ0प्र0/नोडल अधिकारी, कानपुर नगर को सादर सूचनार्थ।
3. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, कानपुर नगर।
4. नगर आयुक्त, नगर निगम, कानपुर नगर।
5. मुख्य विकास अधिकारी, कानपुर नगर।
6. समस्त अपर जिलाधिकारी, कानपुर नगर।
7. मुख्य चिकित्साधिकारी, कानपुर नगर।
8. नगर मजिस्ट्रेट/समस्त नगर मजिस्ट्रेट/समस्त उपजिलाधिकारी, कानपुर नगर।
9. समस्त राजकीय कार्यालयों के विभागाध्यक्ष।
10. उप निदेशक, सूचना, कानपुर नगर।
11. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, कानपुर नगर।

(डा0 ब्रह्म देव राम तिवारी)
जिला मजिस्ट्रेट,
कानपुर नगर।

Scanned by TapScanner